

प्रेषक

उपायुक्त, गुडगांव।

सेवा मे,

M/s Bluejays Realtech Pvt. Ltd.,
B-5, Chirag Enclave,
New Delhi-110048

क्रमांक 141 /एम.बी. दिनांक 31/9/2013

विषय:-

Report of the Tehsildar through the office of D.C that the land of project does not fall under MOEF Aravali as per notification S.O. 319(dated) 07.05.1992.

उपरोक्त विषय पर आपके प्रार्थना के सन्दर्भ में।

विषयोक्त मामले मे कार्यालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, गुडगांव/मानेसर व उप-वन संरक्षक, गुडगांव से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। जो निम्न प्रकार है:-

1. तहसीलदार, गुडगांव/मानेसर ने लिखा है कि पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार ग्राम हरसरू की भूमि कीला नम्बरान 122//18(8-0)-22(8-0)-23(8-0)-24(6-18), 132//1/2(2-2)-2(8-0)-9(1-7)-3/1(4-2) किता 8 रकबा 46 कनाल 9 मरले है। राजस्व रिकार्ड अनुसार उपरोक्त कीला नम्बरान की जमाबंदी हाल के खाना कैफियत मे अरावली का कोई इन्द्राज नहीं है। वर्ष 1992 से पहले व पश्चात उपरोक्त भूमि की किस्म जमीन चाही है। राजस्व रिकार्ड अनुसार उपरोक्त भूमि कभी भी शामिलता देह, पंचायत देह, नगरपालिका व नगर निगम की मलकियत नहीं रही है। राजस्व रिकार्ड अनुसार उपरोक्त कीला नम्बरान की मलकियत मै0 ब्ल्यूजेज रियलटेक प्रा0लि0 बरूवे इंतकाल न0 3754-3755-3937-3938-3939 है। अनुसार राजस्व रिकार्ड उपरोक्त भूमि पर कोई इंतकाल नजरसानी/मुतनाजा नहीं है। राजस्व रिकार्ड अनुसार उपरोक्त भूमि पर किसी भी न्यायालय मे कोई मुकदमा नहीं है। उपरोक्त रकबा राजस्व रिकार्ड अनुसार भारमुक्त है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार, मानेसर ने पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार नम्बरान खसर 2//11/1(4-4)-11/3(1-11)-12/2(2-10)-19/2(0-9)-19/3(1-4)-19/4(1-19), 1//15/1(1-7)-15/4(2-10)-16/1(1-11)-16/2(1-17), 2//19/6(2-0)-22(8-0), 8//3(8-0), 2//13(2-4)-15/1(2-2)-16/2(4-0)-18(8-0)-23(8-0)-25/1(4-0)-19/5(1-1)-20(8-0)-21/1(2-9), 7//1/2(4-0)-2/2(4-0)-9(8-0)-10(8-0)-11/1(3-2)-12/1(1-2), 8//5(8-0)-6(8-0), 2//19/1(1-7)-12/5(0-7)-12/1(0-18), 1//14/1(3-10)-25/1(0-9), 2//14(1-5)-17(8-0)-24(8-0), 1//15/3(3-2)-17/1/1(2-8)-25/2(2-13)-15/2(1-6) किता 42 रकबा तादादी 154 कनाल 7 मरले मौजा सीही अरावली क्षेत्र मे नहीं

है। उपरोक्त नम्बरान खसरा 1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व उसके पश्चात गिरदावरी अनुसार जमीन किस्म चाही है। उपरोक्त नम्बरान खसरा मिसल हकीयत ता हाल शामलात/ग्राम पंचायत/नगरपालिका/नगरनिगम की मलकियत नहीं रही। उपरोक्त नम्बरान खसरा की मैसर्ज ब्लूयूजेज रियलटेक प्रा0लि0 308-309 वासी विपुल अगोरा एम.जी गुडगांव मालिक व काबिज है। उपरोक्त नम्बरान खसरा मे जमाबंदी के खाना कैफियत मे कोई नजरसानी इंतकाल की रिपोर्ट व इंतकाल मुतनाजा का हवाला नहीं है। उपरोक्त नम्बरान खसरा मे जमाबंदी मे खाना कैफियत मे कोई भी माननीय न्यायालय अदालत का केस का कोई हवाला दर्ज नहीं है। उपरोक्त नम्बरान खसरा मे जमाबंदी के खाना कैफियत मे किसी प्रकार का भार नहीं है। जमीन अनुसार राजस्व रिकार्ड पाक व साफ है।

- 2 **Deputy Conservator of Forest, Gurgaon** ने प्रार्थी को विस्तारपूर्वक रिपोर्ट तैयार करके प्रेषित की है जो निम्न प्रकार से है **M/s Bluejays Realtech Pvt. Ltd., B-5 Chirag Enclave New Delhi** vide letter No. Nil Dated 19-08-13 made a request in connection with land measuring **21.80208 Acres** having Rect. No. 1 Killa No. 14/1,14/2,15/1,15/2,15/3,15/4,16/1,16/2,16/5,17/1/1,17/2,24/2/2,24/2/3,25/1,25/2,25/3 Rect. No. 2 Killa No. 11/1, 11/3, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 13, 14, 15/1, 16/2,17,18,19/1,19/2,19/3,19/4,19/5,19/6,20,21/1,22,23,24,25/1 Rect. No. 7 Killa No. 1/2,2/2,9,10,11/1,12/1 Rect. No. 8 Killa No. 3,5,6 Rect. No. 9 Killa No. 4/2/2, 5/1 land Located at village **Sihi** District **Gurgaon** and Rect. No. 122 Killa No. 11,12,13,18,22,23,24 Rect. No. 132 Killa No.1/2,2,3/1,9 land measuring 6.00625 Acres located at village **Harsaru** Gurgaon Total land measuring 27.80833 acres Applicant made a proposal to use this land for **Group Housing Project Purpose**. In continuation of report submitted by **RFO, Gurgaon** vide letter No. 1221 dated 06-03-13 and approval from C.F.South Circle,Gurgaon vide letter no. 4877 dated 06-03-13, it is made clear that:
 - (A) As per record available above said land is not part of notified reserved Forest Protected Forest under Indian Forest Act,1927 or any area closed under section 4 & 5 of Punjab Land Preservation Act,1900.
 - (B) It is clarified that by the Notification No. S.O.8/PA.2/1900/S.4/2013 dated 04-01-13, entire all Revenue Estate of Gurgaon District is notified u/s 4 of PLPA 1900 and S.O. 81/PA.2/1900/S.3/2012 dated 19-12-12 u/s 3 of PLPA 1900. The area is however not

recorded as forest in the Government record but felling of any tree is strictly prohibited without the permission of Divisional Forest Officer, Gurgaon.

- (C) If approach is required from Protected Forests by the user agency, the clearance/regularization under Forest Conservation Act 1980 will be required. Without prior clearance from Forest Department, the use of Forest land for approach road is strictly prohibited. **M/s Bluejays Realtech Pvt. Ltd.** Whose land is located at village **Sihi, Gurgaon** (21.80208 acres) and Harsaru (6.00625 acres) must obtained clearance and approaches the Divisional Forest officer, Gurgaon for the permission under Forest Conservation Act, 1980.
- (D) As per record with the Forest Department, Gurgaon, the area does not fall under Aravali Project Plantation done by the Forest Department.
- (E) All other statutory clearance mandated under the Environment Protection Act, 1986 or any other Act/order shall be obtained as applicable by the project proponents from the concerned authorities.
- (F) The project proponent shall ensure that Judicial orders/Pronouncements issued by the Hon'ble Supreme Court/High Courts.
- (G) It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various Judgment dated 07-05-02, 29-10-02, 16-12-02, 18-03-04 etc. Pertaining to Aravali region in Haryana, which should be complied with.
- (H) It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearance/permission under various acts and rules applicable if any, from the respective authorities/department.

अतः तहसीलदार, गुडगांव/मानेसर तथा उप-वन संरक्षक, गुडगांव की रिपोर्ट अनुसार वर्णित खसरा व किला न0 अरावली क्षेत्र में नहीं है।


For Deputy Commissioner
Gurgaon
31/12

प्रेषक,

उपायुक्त, गुरुग्राम।

सेवा में

M/s Krisumi Corporation Private Limited.,
3rd Floor, Central Plaza Mall, Golf Course Road, Sector-53,
Gurugram, Haryana-122002.

क्रमांक 107 / एम0बी0

दिनांक 13/08/2023

विषय:-

Report of Tehsildar through office of D.C. that the land of project does not fall under MOEF (Aravalli) as per notification S.O. 319(E) dated 7th May 1992.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले में उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार, मानेसर, नायब तहसीलदार, हरसरू व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:-

तहसीलदार, मानेसर ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 159/आर0सी0 दिनांक 11.08.2023 के द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि राजस्व रिकार्ड मौजा सिही, तहसील मानेसर, जिला गुरुग्राम प्रार्थी M/s Krisumi Corporation Private Limited., 3rd Floor, Central Plaza Mall, Golf Course Road, Sector-53, Gurugram, Haryana-122002 की आराजी भूमि की अरावली नोटिफिकेशन एरिया से सम्बन्धित रिपोर्ट हल्का पटवारी अनुसार बिन्दुवार निम्न है:-

1. प्रार्थना पत्र में वर्णित कीला नं0 2//12/3(0-8), 12/4(0-12) कीता 2 रकबा 1 कनाल 0 मरला दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन अनुसार अरावली क्षेत्र में नहीं आती है।
2. दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व उसके पश्चात मिसल हकीयत/चकबन्दी (ता हाल) तक कभी भी आराजी मुतनाजा भूमि की किस्म गैर मुमकीन पहाड़, गैर मुमकिन राडा, गैर मुमकिन बीहड़, बंजड़ या रुन्द्र नहीं रही है।
3. दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व पश्चात आराजी मुतनाजा भूमि की किस्म "चाही" है।
4. प्रार्थना पत्र में दर्शाई गई आराजी मुतनाजा मिसल हकीयत चकबन्दी ता हाल कभी भी शामिलता देह, पंचायत देह, नगर पालिका, नगर निगम की मलकियत नहीं रही है।
5. आराजी मुतनाजा भूमि का किसी माननीय न्यायालय में केस बाबत जमाबन्दी के खाना कैफियत में कोई इन्द्राज नहीं है अर्थात उपरोक्त आराजी मुतनाजा पर कोई केस नहीं है।
6. आराजी मुतनाजा SEZ (Special Economical Zone) में नहीं आती है।
7. प्रार्थना पत्र में दर्शाई गई भूमि में से उपरोक्त कीला नम्बरान पर कोई रहन, आड रहन/धारा 4-6 व अवार्ड आदि दर्ज नहीं है।
8. प्रार्थना पत्र में दर्शाई गई भूमि (जमाबन्दी साल 2019-2020 खेवट नम्बर/खाता नम्बर 486/502, 488/504 इन्तकाल नम्बर 3636 त0म0 की रूह से) मु0/कीला नम्बर 2//12/3(0-8), 2//12/4(0-12) कीता 2 रकबा 1 कनाल 0 मरला (सालम) की मैसर्ज क्रिसुमी कारपोरेशन प्रा0 लि0 रजिस्टर्ड आफिस 3rd फ्लोर, सैन्टर प्लाजा माल सैक्टर-53, गुरुग्राम (हरियाणा) मालिक व काबिज हैं।

इसके अतिरिक्त नायब तहसीलदार, हरसरू ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 507/आर0सी0 दिनांक 14.08.2023 के द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि राजस्व रिकार्ड मौजा हरसरू, उप तहसील हरसरू जिला गुरुग्राम प्रार्थी M/s Krisumi Corporation Private Limited., 3rd Floor, Central Plaza Mall, Golf Course Road, Sector-53, Gurugram, Haryana-122002 की आराजी भूमि की अरावली नोटिफिकेशन एरिया से सम्बन्धित रिपोर्ट हल्का पटवारी अनुसार बिन्दुवार निम्न प्रकार है:-

1. प्रार्थना पत्र में वर्णित मु0न0 122 कीला नं0 13/3(1-12), 13/2(0-16), 19/2(2-0), 20/2(2-0), 21(8-0), मु0न0 132 कीला नं0 1/1(5-15), 3/2(2-1) कीला 7 रकबा 22 कनाल 4 मरला सालम दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन अनुसार अरावली क्षेत्र में नहीं आती है।
2. दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व उसके पश्चात मिसल हकीयत/चकबन्दी तक कभी भी अराजी मुतनाजा भूमि की किस्म गैर मुमकीन पहाड़, गैर मुमकिन राडा, गैर मुमकिन बीहड़, बंजड़ या रुन्द नहीं रही है।
3. दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व उसके पश्चात अराजी मुतनाजा की किस्म चाही है।
4. प्रार्थना पत्र में दर्शाई गई अराजी मुतनाजा मिसल हकीयत चकबन्दी ता हाल कभी भी शामिलता देह, पंचायत देह, नगर पालिका, नगर निगम की मलकियत नहीं रही है।
5. अराजी मुतनाजा का किसी माननीय न्यायालय में केस बाबत जमाबन्दी के खाना कैफियत में कोई इन्द्राज नहीं है अर्थात उपरोक्त अराजी मुतनाजा पर कोई केस नहीं है।
6. अराजी मुतनाजा भूमि SEZ (Special Economical Zone) में नहीं आती है।
7. प्रार्थना पत्र में दर्शाई गई भूमि में से उपरोक्त कीला नम्बरान पर कोई रहन, आड रहन/धारा 4-6 व अवार्ड आदि दर्ज नहीं है।
8. प्रार्थना पत्र में दर्शाई गई भूमि (जमाबन्दी साल 2020-21 खेवट/खाता नं0 1048/1122, 545/575, 546/576, 567/601, 854/904 व इन्तकाल नं0 5349 मंजूरशुदा की रुह से) मु0न0 122 कीला नं0 13/3(1-12), 13/2(0-16), 19/2(2-0), 20/2(2-0), 21(8-0) व मु0न0 132 कीला नं0 1/1(5-15), 3/2(2-1) कीला 7 रकबा 22 कनाल 4 मरला सालम कि मैसर्ज क्रिसुमी कारपोरेशन प्रा0 लि0 रजि0 ओफिस 3rd Floor, सैन्ट्रल प्लाजा माल सैक्टर-53, गुरुग्राम (हरियाणा) मालिक व काबिज है।

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 994-G दिनांक 23.08.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि उनके कार्यालय द्वारा ऑनलाईन दिनांक 22.08.2023 को (0.125+2.775) = 2.90 एकड़ एरिया गांव सिही व हरसरु जिला गुरुग्राम (Rambir) को फारेस्ट क्लेरिफिकेशन ऑनलाईन जारी की जा चुकी है। जिसकी छाया प्रति इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि Applicant Rambir, M/s Krisumi Corporation Private Limited., having Rect. No./Murba No. 2//12/3, 12/4 Land Measuring 0.125 (Acre) Land Location at Village Sihi, District Gurugram And having Rect. No./Murba No. 122//13/2, 13/3, 19/2, 20/2, 21, 132//1/1, 3/2 Land Measuring 2.775 (Acre) Land Location at Village Harsaru, District Gurugram made a proposal to use this land for Building Construction. It is made clear that:-

- A) As per records available above said land is not part of notified Reserved Forest, protected Forest under Indian Forest Act, 1927 or any area closed under section 4 of Punjab Land Preservation Act 1900.
- B) It is clarified that by the Notification No. S.O 8/P.A 2/1900/S. 4/2013 dated 04-01-13 all Revenue Estate of Gurugram is notified u/s 4 of PLPA 1900 and S.O 81/PA.2/1900/S.3/2012 u/s 3 of PLPA 1900. The area is however not recorded as Forest in the Government record but felling of any tree is strictly prohibited without the permission of Divisional Forest officer, Gurugram.
- C) If approach is required from Protected Forest by the user agency, the clearance/ regularization under Forest Conservation Act 1980 will be required. Without prior clearance from Forest Department, the use of Forest land for approach road is strictly prohibited. **M/s Krisumi Corporation Private Limited.**, whose land is located at **Village/City Sihi & Harsaru, District Gurugram** must obtain clearance as applicable under Forest Conservation Act. 1980.
- D) As per the records available with the Forest Department Gurugram the area does not fall in areas where plantations were raised by the Forest Department under Aravali project.
- E) All other statutory clearances mandated under the Environment protection Act. 1986, as per the notification of Ministry of Environment and Forest, Government of India dated 07-05-1992 or

any other Act/Order shall be obtained as applicable by the project proponents from the concerned authorities.

- F) The project proponent will not violate any Judicial Order/Direction issued by the Hon'ble Supreme Court/High Courts.
- G) It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various judgments dated 07-05-2002, 29-10-2002, 16-12-2002, 18-03-2004, 14-05-2008 etc. pertaining to Aravali region in Haryana, which should be complied with.
- H) It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearances/ permissions under various Acts and Rules applicable if any, from the respective authorities/department.
- I) This certificate is not applicable in case of Environment Department notification dated 10.03.2016 for Screening Plant, and notification dated 11.05.2016 for Stone Crusher. Investor/Applicant has to take clearance from Environment Department in case of Screening Plant and Stone Crusher.

It is subject to the following conditions:

1. Clarification Is Hereby Issued Subject To Above Mentioned Conditions

अतः तहसीलदार, मानेसर, नायब तहसीलदार हरसरू व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट अनुसार आपको Village Sihi, Tehsil Manesar & Village Harsaru, Sub Tehsil Harsaru, District Gurugram की उक्त भूमि की Aravalli Clearance/Non Forest Land रिपोर्ट इस शर्त पर जारी की जाती है कि प्रार्थी/कम्पनी को दी गई एन0ओ0सी में यदि किसी नम्बरों पर हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी प्रकार की भूमि अर्जन कार्यवाही धारा 4, 6 व अवार्ड आदि राजस्व रिकार्ड अनुसार पाया गया तो सम्बन्धित नम्बरों की अरावली एन0ओ0सी0 स्वतः रद्द समझी जावेगी जिसके लिए प्रार्थी/कम्पनी स्वयं जिम्मेवार होगी।

कृते: उपस्थित, गुरुग्राम

प्रेषक,

उपायुक्त, गुरुग्राम।

सेवा में,

M/s Krisumi Corporation Private Limited.,
Unit-02, 11th Floor, Emaar Capital Tower-2, MG Road,
Sector-26, Gurugram.

क्रमांक

104

/एम0बी0

दिनांक

29/7/2024

विषय:-

Report of Tehsildar through office of DC that the land of project does not fall under MOEF (Aravalli) as per notification S.O. 319(E) dated 7th 1992.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले में उक्त के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार, हरसरु व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:-

नायब तहसीलदार, हरसरु ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 387/रीडर दिनांक 12.07.2024 के द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार मौजा हरसरु उपतहसील हरसरु जिला गुरुग्राम की प्रस्तावित भूमि का राजस्व रिकार्ड से अवलोकन करने उपरान्त मांगी गई रिपोर्ट बिन्दुवार निम्न प्रकार है:-

1. प्रार्थना पत्र में वर्णित कीला नं० 122/ /15(8-0), 16(8-0), 17(8-0) कीता 3 रकबा 24 कनाल 0 मरला दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन अनुसार अरावली क्षेत्र में नहीं है।
2. दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व उसके पश्चात मिसल हकीयत/चकबन्दी तक कभी भी अराजी जरई की किस्म गैर मुमकिन पहाड़, गैर मुमकिन राडा, गैर मुमकिन बीहड, बंजड़ बीहड या रुद्र नहीं रही है।
3. दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व पश्चात अराजी जरई की किस्म चाही है।
4. प्रार्थना पत्र में दर्शाई गई अराजी मुतनाजा मिसल हकीयत/चकबन्दी ता हाल कभी भी शामिलता देह/पंचायत देह/नगर पालिका/नगर निगम की मलकियत नहीं रही है।
5. अराजी मुतनाजा का किसी माननीय न्यायालय में केस बाबत जमाबन्दी के खाना कैफियत में कोई इन्द्राज दर्ज नहीं है।
6. उपरोक्त अराजी भूमि NCZ (National Conservation Zone), SEZ (Special Econimical Zone) में नहीं आती है।
7. प्रार्थना पत्र में दर्शाई गई भूमि में से उपरोक्त कीला नम्बरान पर कोई रहन, आड़ रहन, धारा 4 - 6 व अवार्ड आदि दर्ज नहीं है।
8. प्रार्थना पत्र में दर्शाई गई भूमि (जमाबन्दी साल 2020-21) खेवट नं० 918/973 इन्तकाल नं० 5482 मन्जूरशुदा की रुह से है। मु०/कीला नं० 122/ /15(8-0), 16(8-0), 17(8-0) कीता 3 रकबा 24 कनाल 0 मरला सालम की M/s Namo Lands Pvt. Ltd. (मै० नमो लैंड्स प्रा० लि०) रजि० ऑफिस 95 IInd फ्लोर कैलाश हिल्स नई दिल्ली मालिक व काबिज है।

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 917-G दिनांक 25.07.2024 के द्वारा अवगत कराया है कि उनके कार्यालय द्वारा दिनांक 26.03.2024 (M/s Namo Lands Pvt. Ltd.) को गांव हरसरु, जिला गुरुग्राम के 3 एकड़ क्षेत्र की फॉरेस्ट क्लेसिफिकेशन ऑनलाईन जारी की जा चुकी है। जिसकी छाया प्रति इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि Applicant Mr. Rambir, M/s Namo Lands Private Limited., having Rectangle No./Murba No./Killa No. 122//15(8-0), 16(8-0), 17(8-0) Land Measurements 3 (Acre) Land Location Village Harsaru, District Gurugram made a proposal to use this land for NOC For Setting Up Of Group Housing Colony Under Tod Zone. It is made clear that:-

- A) As per records available above said land is not part of notified Reserved Forest, protected Forest under Indian Forest Act, 1927 or any area closed under section 4 of Punjab Land Preservation Act 1900.
- B) It is clarified that by the Notification No. S.O 8/P.A 2/1900/S. 4/2013 dated 04-01-13 all Revenue Estate of Gurugram is notified u/s 4 of PLPA 1900 and S.O 81/PA.2/1900/S.3/2012 u/s 3 of PLPA 1900. The area is however not recorded as Forest in the Government record but felling of any tree is strictly prohibited without the permission of Divisional Forest officer, Gurugram.
- C) If approach is required from Protected Forest by the user agency, the clearance/regularization under Forest Conservation Act 1980 will be required. Without prior clearance from Forest Department, the use of Forest land for approach road is strictly prohibited. **M/s Namo Lands Private Limited** whose land is located at **Village/City Harsaru, District Gurugram** must obtain clearance as applicable under Forest Conservation Act. 1980.
- D) As per the records available with the Forest Department Gurugram the area does not fall in areas where plantations were raised by the Forest Department under Aravali project.
- E) All other statutory clearances mandated under the Environment protection Act. 1986, as per the notification of Ministry of Environment and Forest, Government of India dated 07-05-1992 or any other Act/Order shall be obtained as applicable by the project proponents from the concerned authorities.
- F) The project proponent will not violate any Judicial Order/Direction issued by the Hon'ble Supreme Court/High Courts.
- G) It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various judgments dated 07-05-2002, 29-10-2002, 16-12-2002, 18-03-2004, 14-05-2008 etc. pertaining to Aravali region in Haryana, which should be complied with.
- H) It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearances/permissions under various Acts and Rules applicable if any, from the respective authorities/department.
- I) This certificate is not applicable in case of Environment Department notification dated 10.03.2016 for Screening Plant, and notification dated 11.05.2016 for Stone Crusher. Investor/Applicant has to take clearance from Environment Department in case of Screening Plant and Stone Crusher.

It is subject to the following conditions:

1. Clarification Is Hereby Issued Subject To The Conditions Mentioned Above.

अतः नायब तहसीलदार, हरसरु व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट में वर्णित शर्तों अनुसार आपको Village Harsaru, Sector-36A, Sub Tehsil Harsaru, Distt. Gurugram की उक्त भूमि की Aravalli Clearance/Non Forest Land रिपोर्ट इस शर्त पर भी जारी की जाती है कि प्रार्थी/कम्पनी को दी गई एनओसी में यदि किसी नम्बरों पर हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी प्रकार की भूमि अर्जन कार्यवाही धारा 4, 6 व अवार्ड आदि राजस्व रिकार्ड अनुसार पाया गया तो सम्बन्धित नम्बरों की अरावली एनओसी स्वतः रद्द समझी जावेगी जिसके लिए प्रार्थी/कम्पनी स्वयं जिम्मेवार होगी।


 कृते: उपायुक्त, गुरुग्राम।
